अध्याय -I
सामान्य

अध्याय-I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	**राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व**					
	कर राजस्व	4,107.92	4,626.17	5,120.91	5,940.16	6,695.81
	कर-भिन्न राजस्व	1,915.20	1,376.88	1,784.53	2,081.45	1,837.15
	योग	**6,023.12**	**6,003.05**	**6,905.44**	**8,021.61**	**8,532.96**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	1,998.37	2,282.02	2,491.53	2,644.17	3,611.17[1]
	सहायता अनुदान	6,521.37	7,313.07	6,314.11	7,177.67	11,296.35
	योग	**8,519.74**	**9,595.09**	**8,805.64**	**9,821.84**	**14,907.52**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**14,542.86**	**15,598.14**	**15,711.08**	**17,843.45**	**23,440.48**
4.	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**41**	**38**	**44**	**45**	**36**

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹8,532.96 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 36 *प्रतिशत* था। वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्तियों का शेष 64 *प्रतिशत* भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ था।

1.1.2 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का ब्यौरा **तालिका 1.2** में दिया गया है:

[1] विवरण के लिए कृपया वर्ष 2015-16 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-14-'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण' देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0028- आय और व्यय पर अन्य कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय आबकारी शुल्क तथा 0044-सेवा कर तथा 0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर उप शीर्ष-901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश के अंतर्गत आंकड़े जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

तालिका 1.2: जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	2014-15 के प्रति वास्तविक
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	2,444.27	2,476.78	3,161.57	2,728.22	3,232.90	3,141.10	3195.62	3660.57	3,937.01	3,992.99	1	9
2.	राज्य आबकारी	709.74	707.36	800.14	809.87	949.46	951.96	940.74	1,044.14	1,137.73	1,131.22	(-) 0.57	8
3.	मोटर वाहन कर	173.08	176.03	215.39	196.13	246.88	207.81	214.14	220.10	227.15	317.05	149	44
4.	स्टाम्प शुल्क	142.76	155.09	159.05	172.61	201.22	187.50	209.11	190.58	215.40	205.52	(-) 05	08
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	190.00	185.47	217.03	262.63	248.77	191.36	262.01	332.82	308.45	551.06	79	66
6.	भू-राजस्व	1.90	17.86	4.01	23.60	4.00	9.98	15.12	16.88	15.66	7.43	(-) 53	(-) 56
7.	अन्य	378.08	389.33	500.23	433.11	489.76	431.20	386.56	475.07	499.39	490.54[2]	(-) 2	3
योग		**4,039.83**	**4,107.92**	**5,057.42**	**4,626.17**	**5,372.99**	**5,120.91**	**5,223.30**	**5,940.16**	**6,340.79**	**6,695.81**	**6**	**13**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया कर राजस्व बढ़ती प्रवृति को दर्शाता है तथा यह वर्ष 2011-12 के ₹4,107.92 करोड़ से बढकर 2015-16 में ₹6,695.81 करोड़ हो गया। सम्बंधित विभागों ने भिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: बेहतर कर प्रशासन, पैट्रोल एवं डीजल पर कर दरों में बढ़ौतरी के कारण वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त, माल के मूल्य सूचकांक एवं समस्त औद्योगिक आगतों पर प्रवेश कर की दरों में बढ़ौतरी के कारण वृद्धि हुई ।

राज्य आबकारी: प्रति प्रूफ लीटर देशी तथा भारतीय निर्मित विदेशी शराब की लाइसेंस फीस तथा आबकारी शुल्क की दरों में बढ़ौतरी तथा वार्षिक लाइसेंस फीस/समस्त नियत की गई फीस वाले लाइसेंसधारियो की फीस के नवीकरण के कारण वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त बार-लाइसेंसधारियों, क्लबों तथा सशस्त्र सेनाओं को की जाने वाली आपूर्ति पर निर्धारित फीस में वृद्धि तथा विभिन्न प्रकार के शराब के आबकारी शुल्क में वृद्धि के कारण भी थी।

मोटर वाहन कर: वृद्धि का कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम से लम्बित बकाया का भुगतान करने, अधिक वाहनों का पंजीकरण तथा अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के अंतर्गत अधिक प्राप्तियाँ थी।

विद्युत पर कर व शुल्क: वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा विगत वर्षों के विद्युत शुल्क की बकाया राशि को वर्ष 2015-16 के दौरान जमा करवाने के कारण थी।

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्योरा **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

[2] कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य राजस्व शीर्ष - "0042-माल एवं यात्री कर": ₹115.28 करोड तथा "0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर": ₹375.26 करोड के अंतर्गत राशियां ।

तालिका 1.3: जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्योरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015-16 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	वास्तविक के प्रति वास्तविक
1.	विद्युत	1,400.00	1,145.70	1,243.00	637.15	1,470.25	696.29	605.00	1,121.51	650.00	923.68	42	(-) 18
2.	ब्याज प्राप्तियां	48.41	115.09	125.56	69.90	176.44	118.61	69.96	100.93	70.93	93.84	32	(-) 7
3	***अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग***	110.50	120.12	137.94	147.90	151.10	114.08	140.00	161.52	140.00	155.08	11	(-) 4
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	84.78	106.54	75.31	63.90	86.45	357.83	73.16	115.78	73.16	34.47	(-) 53	(-) 70
5.	लोक निर्माण कार्य	30.14	41.63	38.89	39.72	42.59	34.75	43.44	34.13	45.97	43.00	(-) 6	26
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	17.92	26.23	33.39	45.71	35.09	25.95	35.79	35.57	36.74	32.81	(-) 11	(-) 8
7.	पुलिस	18.42	15.39	21.03	20.63	29.57	34.65	38.16	39.83	47.78	48.53	2	22
8.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	6.90	8.66	7.13	11.21	8.59	5.04	11.86	3.35	8.67	5.72	(-) 34	71
9.	सहकारिता	3.23	2.30	3.46	3.24	4.48	15.30	3.66	8.67	2.90	14.77	409	70
10.	विविध सामान्य सेवाएं	0.82	40.01	1.87	8.94	1.99	5.65	2.12	3.41	2.18	19.37	788	468
11.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.46	0.36	0.81	0.33	0.81	0.37	0.81	0.17	0.89	0.21	(-) 76	24
12.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	272.92	293.17	314.21	328.25	385.18	376.01	364.83	456.58	427.96	465.67[3]	9	2
योग		**1,994.50**	**1,915.20**	**2,002.60**	**1,376.88**	**2,392.64**	**1,784.53**	**1,388.79**	**2,081.45**	**1,507.18**	**1,837.15**	**22**	**(-) 12**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2015-16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया कर-भिन्न राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में (-)12 *प्रतिशत* कम था यह वर्ष 2011-12 में ₹1,915.20 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹1,837.15 करोड़ रह गया। संबंधित विभागों ने विभिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

वानिकी एवं वन्य जीवन: कमी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड तथा अन्य उपभोक्ताओं/संस्थानों से लकडी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री से कम प्राप्तियाँ मिलने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, कमी अन्य विभागों/संगठनों को लकडी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री तथा

[3] अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य कर-भिन्न राजस्व शीर्ष -"0050- लाभांश एवं लाभ": ₹111.94 करोड़, "0051- लोक सेवा आयोग": ₹7.03 करोड़, "0056- जेल ": ₹0.27 करोड़, "0057- आपूर्ति एवं निष्पादन": ₹0.04 करोड़,"0058-मुद्रण एवं लेखन सामग्री": ₹8.32 करोड़, "0071-पैंशन तथा अन्य के अंतर्गत अंशदान एवं वसूलियां": ₹5.71 करोड़, "0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति ": ₹206.37 करोड़, "0211- परिवार कल्याण": ₹0.02 करोड़, "0215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता": ₹41.80 करोड़, "0216-आवास": ₹3.57 करोड़, "0217-शहरी विकास": ₹6.80 करोड़, "0220-सूचना एवं प्रचार": ₹1.25 करोड़, "0230-श्रम एवं रोजगार": ₹7.32 करोड़, "0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण": ₹6.40 करोड़, "0250- अन्य सामाजिक सेवाएं": ₹0.09 करोड़, "0401-कृषि कर्म": ₹14.21 करोड़, "0403-पशु कर्म": ₹0.94 करोड़, "0405-मतस्य पालन": ₹3.98 करोड़, "0407-पौधारोपण": ₹0.00 करोड़, "0408-अनाज भंडार एवं गोदाम": ₹0.53 करोड़, "0435-अन्य कृषि कार्यक्रम": ₹1.12 करोड़, "0506-भूमि सुधार": ₹0.27 करोड़, "0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ": ₹3.78 करोड़, "0575-अन्य सामाजिक क्षेत्रीय कार्यक्रम": ₹0.33 करोड़, "0702- लघु सिंचाई": ₹0.94 करोड़, "0851- ग्राम एवं लघु उद्योग": ₹11.03 करोड़, "0852-उद्योग": ₹4.65 करोड, "1054-सडक एवं पुल": ₹10.57 करोड़, "1055- सडक परिवहन": ₹0.38 करोड़, "1425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान": ₹0.00 करोड़, "1452- पर्यटन": ₹0.90 करोड़, "1456-नागरिक आपूर्ति": ₹0.07 करोड़ तथा "1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं": ₹5.04 करोड़।

अन्य विविध स्त्रोतों से कम प्राप्तियाँ मिलने के कारण थी ।

पुलिस: वृद्धि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, रेलवे एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा पुलिस गार्डों की सप्लाई करने हेतु बकाया का भुगतान तथा लम्बित वसूलियों के भुगतान करने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस फीस तथा जिला प्राधिकरणों द्वारा जिला शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने के लिए जारी सड़क परमिटों से प्राप्तियों के कारण थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: वृद्धि निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करना तथा निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियामक संस्थान के द्वारा दिसम्बर 2015 से राजस्व प्राप्तियों को सरकारी राजकोष में जमा करना, औषधि निर्माण इत्यादि से प्राप्तियों की वृद्धि के कारण थी।

सहकारिता: वृद्धि का कारण अंकेक्षण शुल्क निर्धारण के नियमों में संशोधन एवं राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम नई दिल्ली द्वारा राज्य सरकार को प्रदेश में चल रही तीन एकीकृत विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन व हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता विपणन एवं उपभोक्ता संघ 'सी' को विपणन गतिविधियों के संचालन हेतु अनुदान की प्रतिपूर्ति था ।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के लिए कारण सूचित नहीं किए थे (नवम्बर 2016)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में 31 मार्च 2016 को राजस्व के बकाया की राशि ₹3,421.16 करोड़ थी जिसमें से ₹226.55 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी जैसा कि नीचे **तालिका 1.4** में ब्योरा दिया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2016 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,687.78	173.78	बकाया वर्ष 1968-69 से संचित हैं। ₹2,345.76 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹6.72 करोड़ बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे, शेष ₹18.86 करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने थे, ₹38.63 करोड़ की राशि की वसूलियों को उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था तथा ₹277.81 करोड़ व्यापारियों से वसूल किए जाने थे।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	254.79	0.0	कुल बकाया में से जलापूर्ति हेतु ₹246.36 करोड़ नगर निगम/ समितियों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों, ₹6.49 करोड़ तथा ₹0.43 करोड़ क्रमशः गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों, ₹0.05 करोड़ आवास तथा ₹1.46 करोड़ लघु सिंचाई से सम्बंधित थे।
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	355.75	0.0	विद्युत शुल्क हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से बकाया ।

4.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	49.64	8.97	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित थे। ₹29.86 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹0.89 करोड़ को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹6.93 करोड़ उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए एवं ₹11.96 करोड़ विभिन्न होटल मालिकों से वसूल किए जाने थे।
5.	राज्य आबकारी	46.78	32.16	बकाया वर्ष 1972-73 से संचित थे। ₹18.26 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹3.96 करोड़ उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए थे, ₹0.45 करोड़ को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹24.11 करोड़ का बकाया बोली देने वालों/ लाइसेंसधारियों से वसूल किया जाना था।
6.	माल एवं यात्री कर	17.81	9.02	₹8.56 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹3.11 करोड़ बट्टे खाते में डालने के लिए प्रस्तावित थे, शेष ₹1.36 करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने थे तथा ₹4.78 करोड़ विभिन्न वाहन मालिकों से वसूल किए जाने थे।
7.	ग्राम तथा लघु उद्योग	7.27	1.73	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित थे। बकाया प्लॉट्स (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बंधित हैं।
8.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.86	0.58	बकाया वर्ष 1970-71 से संचित थे। बकाया रॉयल्टी/ ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन कार्यालयों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) भू-गर्भ स्कंध उद्योग निदेशालय से सम्बंधित हैं।
9.	उद्योग	0.23	0.12	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित थे। बकाया रेंट शेड्स (औद्योगिक परिसंपत्ति), सरकारी आवास के किराये/ मलबरी पौधों आदि की बिक्री से प्राप्ति से सम्बंधित हैं।
10.	लोक निर्माण	0.25	0.19	बकाया वर्ष 1963-64 तथा इससे आगे से संचित हुए हैं।
योग		**3,421.16**	**226.55**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्प्रिट कर, विलास कर तथा संविदा कार्यों संविदाओं पर करों के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामलों, निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	आदि शेष	2015-16 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2015-16 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (स्तंभ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,50,998	48,021	1,99,019	51,207	1,47,812	26
विलास कर	3,482	2,017	5,499	2,086	3,413	38
संविदा कार्यों पर कर	2,047	370	2,417	267	2150	11
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33	18	51	24	27	47

स्रोत: विभागीय आंकड़े

निर्धारण मामलों का निपटान अत्यंत धीमा था तथा यह 11 तथा 47 *प्रतिशत* के मध्य था।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6: कर अपवंचन

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 तक लम्बित मामले	2015-16 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2016 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	84	9,188	9,272	9,189	28.81	83
2.	विलास कर	43	3,889	3,932	3,899	2.71	33
3.	संविदा कार्यों पर कर	0	10,384	10,384	10,368	4.67	16
4.	मोटर स्प्रिट कर	22	5,426	5,448	5,439	2.32	9
योग		**149**	**28,887**	**29,036**	**28,895**	**38.51**	**141**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

कुल 29,036 मामलों में से विभाग ने 28,895 मामलों में निर्धारण पूर्ण किया तथा ₹38.51 करोड़ की अतिरिक्त मांग की थी ।

1.5 प्रत्यर्पण मामले

विभाग द्वारा प्रतिवेदित वर्ष 2015-16 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण नीचें **तालिका 1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7: प्रत्यर्पण मामलों के लम्बन का विवरण

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹करोड़ में)
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	66	25.29	10	0.16
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	181	35.48	62	2.29
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	198	41.12	54	2.12
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	49	19.65	18	0.33

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमिताओं, जिनका मौके पर निपटान नहीं हो पाता, से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां अगले उच्चत्तर प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं, ताकि तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट प्रेक्षणों पर शीघ्र अनुपालना करना, दोषों तथा चूकों को दूर करना और निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के

भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से की गई अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में से जून 2016 के अंत तक 2,549 निरीक्षण प्रतिवेदन बकाया थे जैसा पिछले दो वर्षों के तदरूपी आंकडों सहित नीचे **तालिका 1.8** में उल्लिखित है:

तालिका 1.8: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,952	2,509	2,549
बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	8,009	7,150	7,512
अंतर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़)	1,322.75	1,099.13	1,512.30

30 जून 2016 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण नीचे **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य (₹करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	123	991	329.30
		यात्री व माल कर	178	334	261.45
		वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	105	129	7.30
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	48	84	0.89
		राज्य आबकारी शुल्क	50	188	55.43
2.	राजस्व	भू-राजस्व	236	475	197.97
3.	परिवहन	मोटर वाहन कर	673	2,613	296.84
4.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	592	1,229	60.58
5.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियां	544	1,469	302.54
योग			**2,549**	**7,512**	**1,512.30**

2015-16 के दौरान 217 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 106 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में लेखापरीक्षा के चार सप्ताह के अनुबद्ध समय के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लम्बन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनिमितताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्यान्वित कार्रवाई का अभाव कमजोर जबावदेही एवं राजस्व की अपरिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ावा देती है। लेखापरीक्षा के परिच्छेदो के लम्बित मामलों की संख्या का निरतंर बढ़ना सरकार का मामलो का अनुश्रवण करने तथा उनकी अनुपालना की संवीक्षा एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के समायोजन हेतु प्रभावशाली तंत्र को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान आकर्षित करती है ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता

लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2015-16 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण **तालिका 1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	निपटाए गए परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	राजस्व विभाग	1	36	0.53
2.	राज्य आबकारी विभाग	1	189	0.90
3.	परिवहन विभाग	1	27	1.27
4.	वन विभाग	1	50	7.62
योग		**4**	**302**	**10.32**

राजस्व, राज्य आबकारी, परिवहन एवं वन विभागों के संदर्भ में 2015-16 के दौरान चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई। परिणामस्वरूप ₹10.32 करोड़ से अंतर्गस्त 302 लम्बित परिच्छेदों का समायोजन किया गया । यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को सभी विभागों में एक नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठको के आयोजन को सुनिश्चित करना चाहिए ।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

अप्रैल तथा अगस्त 2016 के मध्य सताईस प्रारूप परिच्छेद सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों ने छब्बीस प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं भेजे थे तथा उन्हें सरकार की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तथापि विभाग के उत्तर जहां भी प्राप्त हुए थे, प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां विलंबित थी। 31 मार्च 2011, 2012, 2013 तथा 2014 को समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 132 परिच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 6 अप्रैल 2012 तथा 10 अप्रैल 2015 के मध्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बंध में सम्बद्ध विभागों से इन परिच्छेदों पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमशः 13, सात, 11 तथा सात मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए राजस्व विभाग से तीन परिच्छेदों के संबंध में की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई थी (नवम्बर 2016)।

लोक लेखा समिति ने 2006-07 से 2012-13 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 73 चयनित परिच्छेदों पर चर्चा की। तथापि नीचे **तालिका 1.11** में उल्लिखित विभागों से संबंधित चर्चा किये गए परिच्छेदों पर लोक लेखा समिति की सिफारिशें अभी भी प्रतीक्षित थी:

तालिका 1.11: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित चयनित परिच्छेदों पर लोक लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा

वर्ष	विभागों का नाम	सिफारिशें प्रतीक्षित
2006-07	राजस्व, परिवहन एव, सहकारिता	15
2007-08	आबकारी एवं कराधान तथा परिवहन	29
2008-09	आबकारी एवं कराधान	16
2009-10	आबकारी एवं कराधान	06
2011-12 तथा 2012-13	वन	07
योग		**73**

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभागों/ सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागार किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु एक विभाग (0041-मोटर वाहन कर के मुख्य प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत परिवहन विभाग) के विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया और उसको इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती परिच्छेद 1.7.1 से 1.7.3 मुख्य राजस्व शीर्ष '0041- मोटर वाहन कर' के अंतर्गत **मोटर वाहन** पर कर के सम्बंध में परिवहन विभाग के निष्पादन और 2015-16 तक विगत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा में अधिसूचित मामलों तथा 2006-07 से 2014-15 वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा करते है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा 31 मार्च 2016 को उनकी सारांशित स्थिति को नीचे **तालिका 1.12** में तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.12: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य
2006-07	532	1,568	26.51	55	269	5.97	31	194	3.26	556	1,643	29.22
2007-08	556	1,643	29.22	54	326	9.45	22	163	10.24	588	1,806	28.43
2008-09	588	1,806	28.43	52	299	4.52	21	195	4.42	619	1,910	28.53
2009-10	619	1,910	28.53	62	203	66.51	54	140	54.47	627	1,973	40.57
2010-11	627	1,973	40.57	55	214	30.97	15	101	23.55	667	2,086	47.99
2011-12	667	2,086	47.99	53	252	23.32	29	131	8.06	691	2,207	63.25
2012-13	691	2,207	63.25	39	206	32.88	51	164	26.52	679	2,249	69.61
2013-14	679	2,249	69.61	39	208	123.06	74	180	10.68	644	2,277	181.99
2014-15	644	2,277	181.99	36	176	57.65	50	62	1.11	630	2,391	238.53
2015-16	630	2,391	238.53	44	227	59.81	01	05	1.50	673	2,613	296.84

2006-07 के प्रारम्भ में 1,568 परिच्छेदों सहित 532 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2015-16 के अंत तक 2,613 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 673 हो गई। यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बकाया परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति **तालिका 1.13** में दर्शायी गई है:

तालिका 1.13: स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किए गए परिच्छेदों की संख्या	स्वीकार किए गए परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2016 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2005-06	06	21.20	05	9.55	0.01	1.11
2006-07	05	2.89	05	2.89	0	0.13
2007-08	07	4.79	07	4.77	0.02	0.61
2008-09	08	5.67	06	4.93	0.40	2.83
2009-10	04	60.13	03	35.99	3.42	30.62
2010-11	07	19.85	05	18.09	0.22	15.94
2011-12	05	16.15	05	16.15	0.26	13.69
2012-13	04	16.73	04	16.70	0.12	14.51
2013-14	03	10.75	03	3.77	0.55	0.94
2014-15	07	40.81	05	20.14	2.30	3.70
योग	**56**	**198.97**	**48**	**132.98**	**7.30**	**84.08**

विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकार्य मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी।

1.7.3 विभागों/ सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार द्वारा संचालित की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं संबंधित विभाग/ सरकार को उनकी सूचना हेतु, उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ, अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है और निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रूप देते समय विभाग/ सरकार के विचार सम्मिलित किये जाते हैं। प्राप्ति शीर्ष '0041- मोटर वाहन कर' के अंतर्गत ***परिवहन विभाग*** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई और वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी जैसा कि विवरण **तालिका 1.14** में दिया गया है:

तालिका 1.14: विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में दी गई सिफारिशों की संख्या	टिप्पणियां
1.	2009-10	मोटर वाहन कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण	सात सिफारिशें	समस्त सिफारिशों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था तथा विभाग ने बताया था कि उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास किये जा रहे थे।
2.	2010-11	परिवहन विभाग में कम्प्यूट्रीकरण	चार सिफारिशें	

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष होता है। इस कक्ष को अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ समय-समय पर विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्य योजना तथा परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना-जांच करनी थी।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु मात्र 31 इकाईयों की योजना की गई थी, लेखापरीक्षा कक्ष ने उसमें से मात्र 13 इकाईयों (42 *प्रतिशत*) की लेखापरीक्षा की जैसा कि निम्नांकित **तालिका 1.15** में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाई	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	13	06	07
परिवहन	01-राज्य परिवहन प्राधिकरण 56-पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी 10-क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 03- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़न दस्ता)	18	07	11
योग	**83**	**31**	**13**	**18**

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले सम्मिलित होते हैं जो कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति से व्युत्पन्न होते है।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा योग्य 420 इकाईयां थीं, जिनमें से 217 इकाईयां[4] निर्धारित थीं तथा इनकी लेखापरीक्षा की गई थी।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता को जांचने के लिए 'सरकारी भूमि को पट्टे पर देने तथा पट्टा राशि की वसूली' तथा 'आबकारी एवं कराधान विभाग में यात्री व माल कर की वसूली' पर दो विषयक लेखापरीक्षा भी की गई।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल व यात्री कर

[4] इनमें 25 इकाईयां विलास कर, मनोरंजन कर एवं एम0 पी0 बैरियरों से संबंधित थी ।

तथा वन प्राप्तियां की 217 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 1206 मामलों में कुल ₹585.95 करोड़ का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ राजस्व हानि, इत्यादि उद्घाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 664 मामलों में ₹182.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 533 मामलों में ₹23.06 करोड़ की राशि की वसूली की गई उसमें 471 मामलों में ₹15.15 करोड़ विगत वर्षों से संबंधित थे तथा 62 मामलों में ₹7.91 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 के लिए थी।

1.11 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹279.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 27 परिच्छेद, सम्मिलित हैं। विभागों/ सरकार ने ₹106.43 करोड़ से अंतर्निहित 21 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से 18 मामलों में ₹8.58 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।